

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013


जयपुर, दिनांक: 5.11.2018

—: आदेश :—

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राजस्थान राज्य के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जिसके अनुसार राज्य में दिनांक 07.12.2018 को मतदान होने के कारण समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) को अधिकृत किया जाता है।


पुनर्मतदान की स्थिति में जहाँ पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) को अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(डॉ.पी.डी.पारीक) 5/11/18  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 1.11.2018 के क्रम में।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप-3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव 5/11/18